हरियाणा की सर्व कल्याण मंच संस्था को जल एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा किया गया सम्मानित

बवानी खेड़ा । नई दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में आयोजित जल प्रहरी सम्मान समारोह में सर्व कल्याण मंच संस्था को हरियाणा प्रदेश में जल एवं पर्यावरण को बचाने के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों हेतु केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. भारत भूषण चौधरी द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान संस्था द्वारा पर्यावरण संरक्षण, जल संकट के प्रति जागरूकता, जल स्त्रोतों के पुनर्जीवन और स्वच्छता अभियान में किए गए अनुकरणीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया। कार्यक्रम में डॉ. भारत भूषण चौधरी ने सर्व कल्याण मंच संस्था की सराहना करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में संस्था का योगदान समाज के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने आगे कहा कि यदि हर व्यक्ति और संस्था इस दिशा में कदम उठाए, तो हम जल संकट और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों ने इस सम्मान को अपने समर्पित कार्यकर्ताओं और जनता को समर्पित करते हुए कहा कि यह सम्मान उनके दायित्व और प्रतिबद्धता को और भी दृढ़ करता है। संस्था ने भविष्य में पर्यावरण और जल

संरक्षण के क्षेत्र में और अधिक प्रयास करने का संकल्प लिया।

पूरे हरियाणा में हर घर बेटी के नाम से चर्चा में आई थी संस्था– बवानी खेड़ा के पुर गांव से संस्था द्वारा हर घर बेटी के नाम मुहिम की शुरुआत की गई थी। जो की पुरे हरियाणा में एक प्रेरणादायक और बेटियों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए चर्चा में रही थी। इस मुहीम का असर ऐसा हुआ की हरियाणा का हर जिला इस मुहीम में जुड़ गया और कई मंत्री और अधिकारियों ने इस मुहीम का कई जिलों में शुभारंभ किया। संस्था द्वारा कई हज़ार पेड़ भी अलग अलग जिलों में लगाए गए हैं। संस्था द्वारा समय समय पर जल बचाने की मुहीम चलाई गई है और लोगों को सतही जल और भूजल दोनों को बचाने के लिए प्रेरित किया जाता है। जिसको लेकर केन्द्रीय राज्य मंत्री द्वारा संस्था के संरक्षक नवीन कौशिक को संस्था की और से सम्मानित किया उन्होंने कहा की आज समाज को ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है जो समाज के लोगों को जल और पर्यावरण के बारे में जागरूक कर सके। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक नवीन कौशिक ने कहा की यह सम्मान उन सभी संस्था से जुड़े कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और आम जन का है जो सामाजिक मुहीम में हमारे साथ जल बचाने, पेड़ लगाने, बेटियों को सम्मान देने और गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित और सहायता करने जैसे कार्य कर रहा है उन्होंने कहा की सर्व कल्याण मंच की कोशिश है की समाज से नशे की बुराई को भी जड़ से खत्म किया जाए। सर्व कल्याण मंच संस्था के सदस्यों में इस सम्मान को लेकर खुशी की लहर है।

लाल डोरे के बाहर 20 वर्ष पुराने मकान का मालिकाना हक देने के लिए सरकार ने विधानसभा सत्र में पेश किया विधेयक– विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार

- मंत्री ने की जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता

चंडीगढ़ । हरियाणा के विकास एवं पंचायत तथा खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने पहले विधानसभा सत्र में विधेयक पारित किया है जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरे के बाहर तालाब या फिरनी की जमीन से अलग जमीन पर 100 से 500 गज 20 वर्ष पुराना मकान बना हुआ है तो सरकार द्वारा कलैक्टर रेट पर मकान धारकों को मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है। श्री कृष्ण लाल पंवार आज रोहतक में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक के एजेंडे में कुल 16 शिकायतें शामिल की गई थी, जिनमें से 9 का मौके पर निपटारा कर दिया गया तथा अन्य शिकायतों के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने एक शिकायत के संदर्भ में उपायुक्त, नगर निगम आयुक्त तथा बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता की समिति गठित कर इन निवासियों को व्यक्तिगत मीटर लगवाने बारे निर्देश दिए। उन्होंने ओमेक्स सिटी को एक माह में बकाया राशि का भुगतान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने एक शिकायत के संदर्भ में राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांवों में अस्पताल व पॉवर हाऊस के लिए ग्राम पंचायत द्वारा दी गई जमीन की जांच-पड़ताल कर उपायुक्त को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पंचायत मंत्री ने बैठक के एजेंडे में शामिल और भी शिकायतों की सुनवाई की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता बढ़ाने के लिए हरियाणा में चलाया जाएगा विशेष अभियान

सफाई और रिकॉर्ड प्रबंधन पर रहेगा जोर

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'स्वच्छ हरियाणा मिशन' के अंतर्गत 31 जनवरी, 2025 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। डॉ. जोशी ने केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद बताया कि यह अभियान दो चरणों में चलाया जाएगा। इस पहल के तहत, पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय निरंतर सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन और स्थिरता पहल सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि कैलेंडर भी बनाएंगे। मुख्य सचिव ने बताया कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों के साथ जनता के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उनके संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि समेत सभी सरकारी कार्यालयों में सफाई को बढ़ाना भी है। अभियान का फोकस प्रशासनिक विभागों और निदेशालयों के साथ-साथ सेवा वितरण के लिए उत्तरदायी क्षेत्रीय व जिला कार्यालयों और सार्वजनिक संपर्क वाले कार्यालयों पर रहेगा। उन्होंने बताया कि तैयारी का चरण 31 दिसंबर तक चलेगा और इसमें विभागों में जमीनी स्तर पर काम होगा। इस चरण के दौरान, अभियान से जुड़ी गतिविधियों की अगुवाई करने के लिए प्रत्येक निदेशालय, जिला कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ये अधिकारी कर्मचारियों को जुटाएंगे, सफाई अभियान के लिए स्थलों की पहचान करेंगे और ई-नीलामी सहित निपटान के लिए अनावश्यक सामग्रियों का आकलन करेंगे। हरियाणा सरकार की कार्यालय प्रक्रिया नियमावली में दिए दिशानिर्देशों के अनुसार दस्तावेज रिटेंशन को सुव्यवस्थित करने और अप्रचलित रिकॉर्ड को हटाने पर ध्यान देने के साथ ही रिकॉर्ड प्रबंधन पर भी बल दिया जाएगा। मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने बताया कि 1 जनवरी से 31 जनवरी, 2025 तक मुख्य चरण के दौरान, विभागों द्वारा तैयारी चरण के दौरान बनाई गई योजनाओं को लागू किया जाएगा। नोडल अधिकारी हाई-रिजॉल्यूशन फोटो और वीडियो के साथ प्रगति का दस्तावेजीकरण करने, उपलब्धियों की रिपोर्ट करने और अभियान के प्रभाव पर जनता से प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने बताया कि एनआईसी द्वारा विकसित एक केंद्रीय निगरानी पोर्टल के माध्यम से अभियान की प्रगति को ट्रैक किया जाएगा। नोडल अधिकारी अपने-अपने विभागों की उपलब्धियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर करते हुए इस पोर्टल को प्रतिदिन अपडेट करेंगे। अभियान की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए जनता से प्राप्त प्रतिक्रिया का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक सचिव नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करेंगे और समर्पित अधिकारी स्वच्छता प्रयासों का आकलन करने के लिए अभियान स्थलों का दौरा भी करेंगे। डॉ. जोशी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में समग्र कार्य परिवेश को बढ़ाना है, ताकि आमजन के संतुष्टि स्तर में सुधार हो। यह पहल स्थान अनुकूलन, रिकॉर्ड प्रबंधन और स्वच्छता सुनिश्चित करके दक्ष और बेहतर सेवा वितरण की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

नशे का नेक्सस तोड़ती हरियाणा पुलिस, वर्ष-2024 में 4652 नशा तस्करों को पहुंचाया सलाखों के पीछे

वर्ष–2024 में 841 नशा तस्करों के विरूद्ध दर्ज किए गए 411 वाणिज्यिक मात्रा के मुकद्दमे

चंडीगढ़ । हरियाणा पुलिस प्रदेश में नशे के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नित नए आयाम स्थापित कर रही है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तथा जिला पुलिस द्वारा प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उनका नेक्सस तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस द्वारा 1 जनवरी 2024 से 30 नवंबर,2024 तक प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ 3051 मुकदमे दर्ज करते हुए 4652 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। इसके साथ ही आदतन अपराधियों पर सख्ती करते हुए पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत वर्ष-2024 में 63 नशा तस्करों के खिलाफ निवारक निरोध की कार्यवाही की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये अपराधी दोबारा नशा तस्करी से ना जुड़े। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा पुलिस द्वारा नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष-2023 में हरियाणा पुलिस द्वारा कमर्शियल क्वालिटी के 326 मुकदमे दर्ज किए गए थे जबकि वर्ष-2024 में 411 मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिनमें 841 बड़े नशा तस्करों पर कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि नशा तस्करी संबंधी बड़े मामलों में तेजी लाने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) से रिपोर्ट आने की समय सीमा को घटाकर 15 दिन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए गांव में 5150 ग्राम प्रहरी तथा वार्ड प्रहरी नियुक्त किए गए हैं। ग्राम प्रहरियों तथा वार्ड प्रहरियों द्वारा गांव में नशा बेचने वाले लोगों पर नजर रखी जाती है। इसके साथ ही जो लोग नशे का शिकार हो गए हैं उनकी नशा छुड़वाने में मदद की जाती है। इसी प्रकार, नमक लोटा अभियान की सफलता के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष छोटी मात्रा के एनडीपीएस मामलों में 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इस अभियान के तहत समुदाय को जागरूक करते हुए छोटे अपराधियों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया।नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। इन कार्यक्रमों में सांस्कृतिक गतिविधियों, खेलों तथा संवादात्मक सत्रों के जरिए लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में अवगत करवाया गया। इसी प्रकार, हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में नशामुक्त भारत पखवाड़ा के तहत 15 दिनों में लाखों लोगों तक नशा विरोधी संदेश पहुंचाया गया। इस पहल ने राज्य के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती दी और व्यापक जन जागृति का आधार तैयार किया। नशे की लत को अपराध से ज्यादा स्वास्थ्य की चुनौती मानते हुए हरियाणा पुलिस द्वारा नशा छोड़ने वालों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रदेश में सर्वेक्षण करते हुए नशे की लत का शिकार हुए लोगों की पहचान की गई जिन्हें पुनर्वास केंद्रों में भेजते हुए उनका इलाज करवाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के साथ योजना बनाकर नशे का शिकार लोगों को इसकी गर्त से बाहर लाने में मदद की गई। आंकड़े सांझा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2024 में नशा तस्करी संबंधी 411 मुकदमे वाणिज्यिक मात्रा के, 1808 मध्यवर्ती तथा 832 कम मात्रा के दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष हरियाणा पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के मुकदमे दर्ज करते हुए 28 किलो 148 ग्राम हीरोइन, 266 किलो 083 ग्राम चरस, 8552 किलो 088 ग्राम गांजा, 400 किलो 956 ग्राम अफीम, 382 किलो 277 ग्राम अफीम के पौधे, 15441 किलो 253 ग्राम भुक्खी, 48436 नशीली दवाइयां की बोतलें, 3,11,776 नशीले कैप्सूल, 6,91,681 नशीली गोलियां, 12778 नशीले इंजेक्शन सहित अन्य नशीले पदार्थों की रिकवरी की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस राज्य को नशामुक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। नशा से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि वे अपने आसपास कहीं भी नशा बिकते हुए देखें तो तुरंत इसकी जानकारी हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के टोल फ्री नंबर- 9050891508 पर देना सुनिश्चित करें।

श्री धनपत सिंह सांगी स्मृति पुरस्कार के लिए 6 जनवरी 2025 तक कर सकते हैं आवेदन

फरीदाबाद। सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा की ओर से श्री धनपत सिंह सांगी स्मृति पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र कलाकार 6 जनवरी, 2025 तक इस पुरस्कार के लिए ई-मेल या डाक के माध्यम से संबंधित विभाग में आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले और आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि चयनित कलाकार को पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र व शॉल भेंट की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदन आगामी 6 जनवरी 2025 तक एससीओ नंबर 200-201 सेक्टर 17-सी चंडीगढ़ या (diprfield@gmail.com) डीआईपीआरफील्डएटदारटेजीमेलडॉटकाम पर ईमेल के माध्यम से विभाग को भेजे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास सांगियों की रचनाओं के मंच निर्देशन के लिए कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। साथ ही आवेदक हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रार्थी ने सांगों का निर्देशन हरियाणा की संस्कृति की मर्यादा के अनुरूप किया हो। श्रेष्ठ निर्देशक अपने सहयोगी कलात्मक निर्देशक, संगीत निर्देशक, कॉस्ट्यूम डिजाइनर प्रकाश एवं ध्वनि इत्यादि तकनीकी स्टाफ के साथ तालमेल बनाने में दक्ष होना चाहिए। प्रार्थी की आयु 35 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और प्रार्थी का सांगों के मंच संचालन में प्रतिष्ठित होना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि प्रार्थी को सांग की रचनाओं के आधार पर स्क्रिप्ट तैयार करने, अभिनय की बारीकियों और संगीत की जानकारी होना जरूरी है। चयनित किए जाने वाले व्यक्ति की सामाजिक छवि अच्छी होनी चाहिए, उस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए और निर्देशित किए गए सांग शिक्षाप्रद व सामाजिक सरोकार से जुड़े होने चाहिए। अनिवार्य योग्यताओं के अनुरूप प्राप्त आवेदनों की छंटनी के बाद सांगियों को अपने पूरे दल के साथ विभाग द्वारा निर्धारित स्थान पर सांग महोत्सव में प्रस्तुति देनी होगी, जिसके आधार पर निर्णायक मंडल द्वारा पात्र सांगी का चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष एवं पारदर्शी होगी और चयन कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया

चंडीगढ़ । हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि श्री चौटाला एक अनुभवी राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने अपना जीवन हरियाणा के लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा के विकास में श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के योगदान और यहां के लोगों, विशेषकर किसानों के कल्याण के लिए उनकी प्रतिबद्धता को हमेशा याद किया जाएगा। उनका निधन राज्य और यहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। श्री दत्तात्रेय ने श्री चौटाला जी के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव को याद करते हुए कहा कि जब मैं केंद्रीय शहरी विकास मंत्री था, तब श्री चौटाला जी हरियाणा के सीएम थे। उन्होंने एनसीआर के विकास के संबंध में मुझसे मुलाकात की थी। एनसीआर विकास बोर्ड की बैठक के दौरान श्री चौटाला जी, जो इसके सदस्य भी थे, क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के बारे में अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण साझा करते थे। 89 साल की उम्र के बावजूद भी श्री चौटाला जी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थे।

श्री धनपत सिंह सांगी स्मृति पुरस्कार के लिए 6 जनवरी,2025 तक कर सकते हैं आवेदन

चण्डीगढ़ । सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा की ओर से श्री धनपत सिंह सांगी स्मृति पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र कलाकार 6 जनवरी,2025 तक इस पुरस्कार के लिए ई-मेल या डाक के माध्यम से संबंधित विभाग में आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले और आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि चयनित कलाकार को पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र व शॉल भेंट की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास सांगियों की रचनाओं के मंच निर्देशन के लिए कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। साथ ही आवेदक हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रार्थी ने सांग का निर्देशन हरियाणा की संस्कृति की मर्यादा के अनुरूप किया हो। श्रेष्ठ निर्देशक अपने सहयोगी कलात्मक निर्देशक, संगीत निर्देशक, कॉस्ट्यूम डिजाइनर प्रकाश एवं ध्वनि इत्यादि तकनीकी स्टाफ के साथ तालमेल बनाने में दक्ष होना चाहिए। प्रार्थी की आयु 35 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और प्रार्थी का सांग के मंच संचालन में प्रतिष्ठित होना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि प्रार्थी को सांग की रचनाओं के आधार पर स्क्रिप्ट तैयार करने, अभिनय की बारीकियों और संगीत की जानकारी होना जरूरी है। चयनित किए जाने वाले व्यक्ति की सामाजिक छवि अच्छी होनी चाहिए, उस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए और निर्देशित किए गए सांग शिक्षाप्रद व सामाजिक सरोकार से जुड़े होने चाहिए। उन्होंने बताया कि अनिवार्य योग्यताओं के अनुरूप प्राप्त आवेदनों की छंटनी के बाद सांगियों को अपने पूरे दल के साथ विभाग द्वारा निर्धारित स्थान पर सांग महोत्सव में प्रस्तुति देनी होगी।

जिसके आधार पर निर्णायक मंडल द्वारा पात्र सांगी का चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष एवं पारदर्शी होगी और चयन कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा के कार्यालय एससीओ नंबर 200-201 सेक्टर 17 सी, चंडीगढ़ में फोन नंबर 0172-5059116, 5059113 ईमेल आईडी डीआईपीआरफील्डएटदरेटजीमेल डाट कॉम पर संपर्क किया जा सकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जताया शोक

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो के वरिष्ठ नेता चौ. ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्री ओपी चौटाला के निधन से हरियाणा की राजनीति के एक अध्याय का अंत हो गया है। उनकी कमी को पूरा कर पाना मुश्किल है। हरियाणा की राजनीति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री चौटाला का व्यक्तित्व सादगी और संघर्ष का प्रतीक था। वे एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने ग्रामीण विकास, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई योजनाएं चलाईं। उनके निधन से न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे प्रदेश को गहरा आघात लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य और संबल दें। उल्लेखनीय है कि श्री चौटाला 1989 में पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। वे पॉच बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। श्री चौटाला का शुक्रवार को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने गुरुग्राम में अंतिम सांस ली।

पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन प्रदेश के लिए दुख : द– विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार

चंडीगढ़ । हरियाणा के विकास एवं पंचायत, खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व इनेलो सुप्रीमो श्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर गहरा दुखः व शोक व्यक्त किया है। उनका निधन प्रदेश की राजनीति के लिए दुखद है, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। आज यहां जारी एक शोक संदेश में विकास एवं पंचायत, खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि लंबे समय तक उन्होंने श्री ओमप्रकाश चौटाला के साथ काम किया है। वे एक नेक दिल इंसान थे। किसान मजदूर व कमेरो के हित की सदैव आवाज उठाई और उनके लिए कार्य किए। उनमें जबरदस्त स्मरण शक्ति थी। हर छोटे-बड़े कार्यकर्त्ता को नाम से पुकारते थे। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष की सभी राजनीतिक पार्टीयों के नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। वे वास्तव में जमीन से जुड़े हुए नेता थे। पंचायत मंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन पर प्रदेश में शोक की लहर

- मंत्रियों, सांसदों, विधायकों व पूर्व मंत्रियों ने जताया शोक

चंडीगढ़ । हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर पूरे प्रदेश में शोक की लहर। हरियाणा मंत्रीमंडल के सभी कैबिनेट मंत्रियों सांसदों, विधायकों व पूर्व मंत्रियों के अलावा अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों ने शोक व्यक्त किया। कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज, श्री कृष्ण लाल पंवार, श्री राव नरबीर सिंह, श्री महिपाल ढांडा, श्री विपुल गोयल, डॉ. अरविंद कुमार शर्मा, श्री श्याम सिंह राणा, श्री रणबीर गंगवा, श्री कृष्ण कुमार बेदी, श्रीमती श्रुति चौधरी, कुमारी आरती सिंह राव व राज्य मंत्री श्री राजेश नागर तथा श्री गौरव गौतम ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की है।

जनता के हित सरकार के लिए सर्वोपरि, अधिकारी शिकायतों एवं समस्याओं का प्राथमिकता से करें निवारण – रणबीर गंगवा

- लोक निर्माण मंत्री ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में 13 मामलों सुनवाई की

चण्डीगढ़ । हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश की जनता ने बड़े बहुमत के साथ भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाई है। विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, जनता के हित सरकार के लिए सर्वोपरि हैं, अधिकारियों को चाहिए कि आम जनता की जायज शिकायतों एवं समस्याओं का अपने स्तर पर प्राथमिकता से निवारण करें। श्री रणबीर गंगवा आज करनाल में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री गंगवा ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में रखे गए 13 मामलों की सुनवाई की जिनमें से 9 का मौके पर समाधान कर दिया तथा 4 मामलों में कार्रवाई से संतुष्ट न होने पर उच्च अधिकारियों को पुनः जांच के निर्देश दिए। मंत्री ने इस मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की मूलभूत जरूरतों से संबंधित विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाएं। किसी भी कार्य को अधूरा न छोड़ें तथा जनता की मांग पर नए विकास कार्यों के प्रस्ताव बनाकर अपने विधायक के माध्यम से सरकार के पास भिजवाएं ताकि प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो सके।

श्रुति चौधरी ने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण से पानीपत के पास मावी बैराज का निर्माण करवाने का अनुरोध किया

चंडीगढ़ । हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण से पानीपत के पास मावी बैराज का निर्माण करवाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस बैराज से राजस्थान को पानी की उपलब्धता हथनीकुण्ड बैराज से भी ज्यादा करवाई जा सकती है और इससे हरियाणा को भी अतिरिक्त पानी मिल सकेगा। श्रीमती श्रुति चौधरी ने यह मांग केन्द्रीय राज्य जल शक्ति मंत्री श्री राज भूषण चौधरी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई 38वीं वार्षिक अंतर्राज्यीय नदी जोड़ बैठक में की। सिंचाई मंत्री ने बताया कि यमुना नदी हरियाणा से होकर बहती है और यहां पानी संग्रहण की कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात के दिनों में यह पानी व्यर्थ बहकर यमुना नदी से बंगाल की खड़ी में चला जाता है। इस लिंक के बन जाने से हरियाणा को अतिरिक्त पानी मिलेगा, जिससे प्रदेश में सिंचाई के साथ-साथ पीने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकेगा। हरियाणा की तरफ से नदी जोड़ के एक महत्वपूर्ण बिन्दु पर उन्होंने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को अवगत करवाया कि शारदा नदी का बहाव नेपाल से होने के कारण शारदा यमुना इन्टरलिंकिंग पर नेपाल सरकार की सहमति में देरी होने से यह मामला काफी समय से लम्बित है। बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

हरियाणा पुलिस अकादमी में 'बम एवं विस्फोटक' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न

घरौंड (सुरेन्द्र पांचाल)। हरियाणा पुलिस अकादमी के डॉ एस राधाकृष्णन सम्मेलन कक्ष में 'बम एवं विस्फोटक' विषय पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ सफलतापूर्वक संपन्न। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर हरियाणा सशस्त्र पुलिस के जिला उप-न्यायवादी गुजेन्द्र सिंह मुख्य अतिथि रहे। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप-निरीक्षक से पुलिस उप-अधीक्षक पद के 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अकादमी के जिला उप न्यायवादी सुरेन्द्र सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि गुजेन्द्र सिंह ने प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को भागीदारी प्रमाण-पत्र तथा क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहे जिला डबवाली से पीएसआइ अजय कुमार, जिला फतेहाबाद से पीएसआइ संजीव कुमार तथा यमुनानगर से पीएसआइ अजय कुमार को वरीयता प्रमाण-पत्र प्रदान किए।